कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 27.09.2024

विषय:- महिला को धमकी देने व छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को थाना सिगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन मे, अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज व प्रभारी निरीक्षक सिगरा के नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 0288/2024, धारा- 351(2), 74, 78 बी0एन0एस थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त करन पुत्र रामबाबू नि0 सी 19/232 ए-4-ए बडा चकरा गुजराती गली थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी औसत उम्र करीब 28 वर्ष को एकरात मस्जिद थाना सिगरा, कमिश्नरेट वाराणसी से दिनांक 27.09.2024 गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर में बताया गया है कि मै जब अपने प्राइवेट जांब पर जाती हूं तब मेरे मोहल्ले का करन पुत्र रामबाबू मेरे पीछे-पीछे मेरा पीछा करते हुए मेरे कार्यस्थल तक रोज आता व जाता है। करन एक शादीशुदा व्यक्ति है जिसका एक बच्चा भी है दिनांक 15-09-2024 को मैं अपने घर से आपने काम पर निकली तो करन मेरा पीछा करते हुए महमूरगंज संतूर होटल के पास मेरा हाथ गलत ईरादे से पकड लिया वह मेरे साथ जोर जबरजस्ती करने लगा मेरे शोर मचाने पर करन मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए व मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक कर जीवन बरर्बाद करने की बात कहीं और मेरा दुष्कर्म करने की धमकी दिया और कहा कि सोशल मीडिया पर तुम्हारी वीडियो डालकर तुम्हारी जिन्दगी बरर्बाद कर देंगे। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछतांछ - अभियुक्त करण कुमार पुत्र राम बाबू निवासी सी 19/232 ए4ए बडा चकरा गुजराती गली थाना सिगरा वाराणसी पूछने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बता रहा है कि मुझसे गलती हो गई मुझे पीड़िता पसंद आ गई थी इसलिए मैं इसके पीछे जाता था किन्तु यह मान नहीं रही थी इसलिए मैंने इसका हाथ पकड़ा एवं तेजाब फेंकने की धमकी भी दिया।

सम्बन्धित अभियोग:- मु0अ0सं0 0288/2024 धारा 351(2),74,78 बी0एन0एस थाना- सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व उम्र-

1. करन पुत्र रामबाबू नि0 सी 19/232 ए-4-ए बडा चकरा गुजराती गली थाना सिगरा कमि0 वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 0125/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना सिगरा कमि0 वाराणसी
2. मु0अ0सं0 484/24 धारा 323/504/506/452 भादवि थाना सिगरा कमि0 वाराणसी

<u>गिरफ्तार/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. श्री मनोज कुमार मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 पंकज कुमार पाण्डेय, चौकी प्रभारी लल्लापुरा, थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
3. हे0का0 धीरेन्द्र कुमार दीक्षित थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।